HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 431/2026

1. Sunil Morya, Son Of Shri Gyaniram, Aged about 28 years, Resident Of Bichpuri, Police Station Diholi, District Dholpur, At Present Posted As Lans Nayak Indian Army Srinagar (J And K)
2. Amarkant, Son Of Shri Gyaniram, Aged about 23 years, Resident Of Bichpuri, Police Station Diholi, District Dholpur (Raj.).
3. Omwati Wife Of Shri Gyaniram, Aged About 48 Years, Resident Of Bichpuri, Police Station Diholi, District Dholpur (Raj.).

---- Accused-Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Vinita Daughter Of Shri Nemichand, Resident Of Nadaura, Rajakhera, District Dholpur, At Present Posted In 6th Batalian Rac Dholpur, Police Station Nihalganj, Dholpur (Raj.).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Dushyant Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

24/02/2026

1. याचीगण–अभियुक्तगण की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **303/2025**, पुलिस थाना– **महिला थाना(धौलपुर)**, जिला– **धौलपुर**, अपराध अंतर्गत धारा **61(2), 318(4), 69, 81, 83, 85, 89, 352 351(2) 351(3) भारतीय न्याय संहिता** को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाची संख्या–2 को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याचीगण–अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष है, उनके विरूद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनका कथन है कि परिवादिया द्वारा पूर्व में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2025 पुलिसथाना महिला(धौलपुर) में उक्त एफ.आई.आर. में उल्लेखित तथ्यों के लगभग समान तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् अपराध प्रमाणित नहीं मानते हुए प्रकरण अदम वकू झूठ में माना था, एवं उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादिया स्वयं ने अनुसंधान अधिकारी को याचीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध गलतफहमी एवं गुस्से में रिपोर्ट लिखाना, उनके मध्य आपसी विवाद समाप्त होना आदि लिखकर दिया गया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2025 को स्वीकार भी किया जा चुका है लेकिन परिवादिया ने पुनः लगभग समान तथ्यों के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 303/2025 दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस जबरन याचीगण–अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर आमादा है, याचीगण–अभियुक्तगण अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार एवं तत्पर हैं, अतः याचीगण–अभियुक्तगण को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण–अभियुक्तगण को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वे दिनांक **10.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग लें तो उनके विरुद्ध दर्ज

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **303/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याचीगण–अभियुक्तगण के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **तीन सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

NIKITA /29